

Court No. - 48

Case :- WRIT - B No. - 27763 of 2009

Petitioner :- Ram Shidhare And Others

Respondent :- The Collector/Distt D.D.C. And Others

Counsel for Petitioner :- B.S. Pandey

Counsel for Respondent :- C.S.C., Tripathi B.G. Bhai

Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery, J.

Re: Substitution Applications No. 2 of 2018 and 9 of 2018

1. Heard.

2. Allowed.

3. Let substitution be carried during course of the day.

Order on Memo of Petition

1. This case is arising out of a belated appeal. An application to condone delay of 30-35 years in filing appeal at the behest of contesting-respondents was rejected by Settlement Officer of Consolidation, Basti vide order dated 13.10.2008 and relevant part of the order is reproduced hereinafter:

“पक्षों के विरुद्ध अधिवक्तागण का तर्क सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रथम अपील च०अ० के आदेश दिनांक 22.10.67 तथा द्वितीय अपील 28.09.67 के विरुद्ध 30.06.2008 को योजित की गयी है इस ग्राम का धारा-52 का प्रकाशन हुए लगभग 30-35 वर्ष व्यतीत हो चुका है तथा समस्त अभिलेख माल अभिलेखागार में बहुत पहले ही संचित किए जा चुके हैं यद्यपि कि अपील कर्तागण द्वारा पृथक पृथक मियाद की याचना के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु इतने वर्षों का समुचित कारण शपथ-पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। अपील सर्वे प्रथम मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किए जाने योग्य पायी गयी।”

2. Aforesaid order was challenged by contesting-respondents before Revisional Authority, i.e., Deputy Director of Consolidation, Basti by filing revision which was allowed by means of impugned order dated 02.12.2008 and relevant part of order is reproduced hereinafter:

“ पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित आये, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व उपस्थित आये। बहस में कहा गया कि चकबन्दी में तकनीकी बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिये अपितु चकबन्दी में वाद सदैव के लिये निर्णीत किये जाते हैं, अतः मियाद का

लाभ देकर स्वत्व को सिद्ध करने हेतु व यदि गांव सभा का हित निहित हो तो ध्यान में रखते हुए परीक्षण न्यायालय को भेजना उचित होगा। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने धारा-5 का लाभ न देकर अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त कर दिया है, जबकि निगरानी कर्तागण का कथन है कि उन्हें अवर न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः उनके विरुद्ध पारित एक पक्षीय आदेश निरस्त कर धारा-5 का लाभ देकर वाद का निर्णय किया जाये। अवर न्यायालय के आदेश के अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और मियाद बाहर अपील को निरस्त कर दिया गया है अतः वाद का गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश निरस्त कर अपील गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित करना उचित व न्यायालय पाया जाता है। तदनुसार निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।”

3. Sri B.S. Pandey, learned counsel for petitioners submits that extraordinary delay of 30-35 years ought to have been considered by taking a strict approach, however, Deputy Director of Consolidation has taken a liberal approach which is not justified in the light of judgment passed by Supreme Court in Esha Bhattacharjee vs Managing Committee of Raghunathpur Nafar Academy and others, (2013) 12 SCC 649.

4. Per contra, Sri Tripathi B.G. Bhai, learned counsel appearing for contesting-respondents submits that order impugned before Appellate Authority was apparently a creature of fraud, therefore, even there is extraordinary delay, it may be condoned taking a liberal view.

5. Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.

6. It is well settled that extraordinary delay may be considered by taking a strict approach. As referred above, the order passed by Appellate Authority is bereft of reasoning since the explanation mentioned in delay condonation application has not been considered in its correct perspective. Contents of delay condonation application is reproduced hereinafter:

“यह कि माह जून 2008 के प्रथम सप्ताह मे हम अपीलार्थीगण को अपने सम्पत्ति का इन्तखाब लेने की आवश्यकता पड़ी चूंकि हम अपीलार्थीगण को अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना था। चुनांचे लेखपाल देहा से विवादित भूमि का इन्तखाब लेने गये

तो उन्होंने बताया कि विवादित भूमि हम अपीलार्थीगण के नाम से दर्ज नहीं है जिसे सुनकर हम अपीलार्थीगण को घेर आश्चर्य हुआ तब हम अपीलार्थीगण बस्ती आये और चकबन्दी अभिलेखों का मुआयना किया और दिनांक 11.06.2008 को नकल की दर्खास्त दिया जो दिनांक 21.06.2008 को प्राप्त हुआ और कथित मुकदमा के पत्रावली का मुआयना करने की दर्खास्त दिया जिस पर बताया गया कि ऐसी कोई पत्रावली न तो बस्ती माल अभिलेखागार में मौजूद है और न तो दर्ज गौसवारा है। हम अपीलार्थीगण को इसके पूर्व उक्त विवाद की कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होने के तत्काल वाद अपील दाखिल किया जा रहा है, हम अपीलार्थीगण ने जानबूझकर कोई लापरवाही समय से अपील दाखिल करने में नहीं किया है जिससे हम अपीलार्थीगण को दफा 5 मियाद अधिनियम का देते हुए अपील मियाद अन्दर मानकर अपील मियाद अन्दर ट्रीट किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हम अपीलार्थीगण को दफा 5 मियाद अधिनियम का देते हुए अपील मियाद अन्दर मानकर अपील मियाद अन्दर ट्रीट करने के आदेश देने की कृपा करें। ”

7. I have also carefully perused the order passed by Revisional Authority which also passed in a very cursory manner without even considering the averments made in application.

8. In aforesaid circumstances as well as considering the allegations and in the interest of justice, it would be appropriate that both orders, i.e., orders passed by Appellate Authority as well as Revisional Authority be set aside and matter is remitted back to Appellate Authority.

9. In view of above, orders dated 13.10.2008 and 02.12.2008 are hereby set aside and matter is remitted back to Appellate Authority to decide appeal afresh in the light of judgment passed by Division Bench of this Court in Ram Prakash vs. Deputy Director of Consolidation, Hardoi and others, 2022(2) AWC 1345 (LB).

10. As pointed out by learned counsel for petitioners, since petitioners herein are not party before Appellate Authority, therefore, learned counsel for contesting-respondents is directed to file an amended memo of parties before Appellate Authority and Appellate Authority is directed to decide application for condonation of delay after hearing both parties in accordance with law.

11. The order impugned before Appellate Authority may be verified from

revenue records, if so warrants.

12. With aforesaid observations/ directions, this writ petition is disposed of.

Order Date :- 22.11.2023

AK